विचार बिन्दु

वसंत अपने आप नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। सहज आने वाला तो पतझड़ होता है, वसंत नहीं। –हरिशंकर परसाई

भिक्षावृत्ति उन्मूलन व पुनर्वास की जरूरत

सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बावजूद राजस्थान सहित किसी भी प्रदेश में भिक्षावृति पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। राजस्थान में कुछ संगठनों ने तय किया है कि वे भिक्षा में नकदी नहीं देंगे अपितु खाने-पीने का सामान और पहनने को कपडा देंगे। हालाँकि यह कोई भीक्षा समाप्त करने का कोई ठोस उपाय नहीं है। देखा जाता है हर चौराहे, लाल बती, धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर हाथ में कटोरा लिए बच्चे से बुजुर्ग तक भिक्षा मांगने वाले मिल जायेंगे। कई बार ये लोग दुर्घटना का शिकार भी हो जाते है। कई महिलाऐं छोटे बच्चों के साथ भिक्षा मांगती सरेआम मिल जाएगी। कुछ तो गोदी में बच्चा लिए भी दिख जाएगी।

इस समस्या से निपटने और विस्थापित भिखारियों के लिये वैकल्पिक समाधान प्रदान करने के प्रयासों के तहत, उदाहरण के रूप में इंदौर का अनुसरण करते हुए, भोपाल, मध्य प्रदेश ने सभी सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। वेसे तो भिक्षावृति हमारे समाज के लिए कलंक के सामान है, लेकिन इंसान की मज़बूरी ही उसको इसके लिए बाध्य कर देती है। हालाँकि कुछ लोगो ने इसको पेशा और धंधा के समझते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजन स्थलों पर भिक्षुकों को दान देना पुण्य माना जाता है, जिससे यह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कारण कई गिरोह इसको व्यवस्थित तरीके से संचालित करने लगे हैं, जहाँ मजबूरी में भीख माँगने वाले लोगों का शोषण भी किया जाता है।

भिक्षावृत्ति की समस्या दिनों-दिन जटिल होती जा रही है। कुछ लोग तो अशक्त होने पर भीख मांगने पर मजबूर होते हैं। तीर्थ स्थानों, धार्मिक स्थलों, मंदिरों में तो यह बहुत अधिक संख्या में पाये जाते हैं।

सड़कों, चौराहों, पर्यटन स्थलों और बाजारों में भी भिक्षावृत्ति का साम्राज्य है। आज भिक्षावृत्ति ने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। दया, सहानुभूति जैसी मानवीय भावनाओं का लाभ उठा कर भिक्षावृत्ति का व्यवसाय फल फूल रहा है। गली गली घूम कर, मुहल्लों में जाकर प्रतिदिन भिखारी कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं। जरूरी नहीं कि जो इन्हें दिया जाये उससे वह प्रसन्न हो जायें। आजकल तो भिखारी भिक्षा भी ले लेते हैं और ताना भी मार देते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि भिक्षावृत्ति में अब कई प्रकार के भिखारियों ने कदम जमा लिये हैं। किन्नर भी इसमें हाथ आजमा रहे हैं और याचना से काम न चलने पर धौंस जमाकर और धमकी देकर पैसे ऐंठते भी देखे गये हैं। भिक्षा मांगना भी एक कला है। कुछ भिखारी अपने अंधे-लंगड़े या अपाहिज होने का कारण बताते हुए भीख मांगते हैं। कुछ वेशभूषा को अजीब बना कर, लम्बे बाल करके, राख पोत कर स्वांग करके मांगते हुये दिख जाते हैं। कुछ बसों एवं रेलगाड़ियों में गा-बजा कर पैसे मांगते हैं। कुछ केसरी वस्त्र पहन कर भीख मांगते हैं तो कुछ साधु-संतों के रूप में कई भिखारी खतरनाक होते हैं। वह महिलाओं एवं बच्चों को ठगते हैं। मौका पाकर वह उनके गहने लूटने से भी बाज नहीं आते, इनसे सावधान रहना चाहिए। भीख मांगना अब कानूनन भी अपराध माना जाता है।

भिक्षावृत्ति की परिभाषा में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल किया गया है जो गाना गाकर, नृत्य करके, भविष्य बताकर, कोई सामान देकर या इसके बिना भीख मांगता है या कोई चोट, घाव आदि दिखाकर, बीमारी बताकर भीख मांगता है। इसके अलावा जीविका का कोई दृश्य साधन न होने और सार्वजनिक स्थान पर इधर-उधर भीख मांगने की मंशा से घूमना भी भिक्षावृत्ति में शामिल है। भारत सरकार ने अपने स्मार्ट सिटी वाले लक्ष्य पर काम करना शुरू कर दिया है। योजना के तहत सरकार की ओर से एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें केंद्र ने भिक्षावृत्ति में लगे वयस्कों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के सर्वेक्षण और पुनर्वास के लिए धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 30 शहरों की पहचान की है।

सड़कों, चौराहों, पर्यटन स्थलों और बाजारों में भी भिक्षावृत्ति का साम्राज्य है। आज भिक्षावृत्ति ने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। दया, सहानुभूति जैसी मानवीय भावनाओं का लाभ उठा कर भिक्षावृत्ति का व्यवसाय फल फूल रहा है। गली गली घूम कर, मुहल्लों में जाकर प्रतिदिन भिखारी कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं। जरूरी नहीं कि जो इन्हें दिया जाये उससे वह प्रसन्न हो जायें। आजकल तो भिखारी भिक्षा भी ले लेते हैं और ताना भी मार देते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि भिक्षावृत्ति में अब कई प्रकार के भिखारियों ने कदम जमा लिये हैं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का लक्ष्य हॉटस्पॉट की पहचान करने और 2026 तक इन स्थानों को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने में जिला और नगर निगम अधिकारियों का समर्थन करना है। पहले चरण में धार्मिक महत्व के जिन 10 स्थानों पर भिखारियों के पुनर्वास पर ध्यान दिया जाएगा, उनमें अयोध्या, ओंकारेश्वर, कांगड़ा, सोमनाथ, उज्जैन, बोधगया, त्र्यंबकेश्वर, पावागढ़, मुदैर और गुवाहाटी शामिल हैं। दिशानिर्देशों के मुताबिक, संबंधित धार्मिक ट्रस्ट या श्राइन बोर्ड भी इन स्थानों पर भीख मांगते पाए जाने वालों के पुनर्वास में शामिल होंगे। इसके अलावा, पर्यटन स्थलों में जैसलमेर, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, कुशीनगर, सांची, केवडिया, श्रीनगर, नामसाई, खजुराहो, और पुडुचेरी शामिल हैं। वहीं, वारंगल, तेजपुर, कोझिकोड, अमृतसर, उदयपुर, कटक, इंदौर, मैसूर, पंचकूला, शिमला, तेजपुर ऐतिहासिक शहरों की सूची में हैं।

हमारे देश में भिक्षा ,भीख और दान की परम्परा रही है। मगर इन तीनों में अंतर समझना जरुरी है। भीख भिखारी को सहायता के रूप में दी जाती है भीख का कोई उद्देश्य नही होता। भीख देने के लिए किसी की योग्यता-अयोग्यता भी नही देखी जाती है। भिक्षा लेने वाले से यह आशा की जाती है कि वह इसे लेकर सभी के हित के लिए कार्य करेगा या फिर स्वयं का जीवन यापन करेगा। इसी भांति दान में भी भिक्षा के ही समान लक्षण होते हैं परंतु अंतर इतना होता है कि दान देने वाला इन्ही सब कारणों व लक्षणों को ध्यान में रखते हुये स्वयं जाकर इच्छित स्थान और समय पर व्यक्ति को दान देता है।

मगर अब भीख, भिक्षा और दान को एक ही तराजू पर तोला जाने लगा है जिससे इनका भेद मिट गया है। भीख भिक्षा और दान का पात्र अब केवल भिखारी ही रह गया है और बदलते जमाने में उसे भिखारी के नाम से ही सम्बोधित किया जाने लगा है। भारत में कानूनी तौर पर भिखारी की जो परिभाषा है उसके अनुसार भिखारी वह व्यक्ति है जिसके पास जीने का कोई साधन नहीं है, ना ही उसके पास सिर छिपाने के लिए छत है। वह लाचार, असमर्थ और अपंग है। सामान्य भाषा में ऐसा व्यक्ति भिखारी कहलाता है। 2011 की जनगणना बताती है कि देश में तीन लाख बहत्तर हजार भिखारी थे, जिनमें से 21 फीसद यानी 78 हजार भिखारी शिक्षित थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि देश में भिखारियों की संख्या चार लाख तेरह हजार छह सौ सत्तर है, जिनमें पुरुषों की संख्या दो लाख बीस हजार और महिलाओं की संख्या एक लाख इक्यानबे हजार है।

आप सुबह-सुबह घर से ऑफिस या व्यवसाय के सिलसिले में बाहर निकलते हैं, तो आपको रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव या मार्केट में "अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा या फिर भगवान के नाम पर दे दे बाबा" जैसा शब्द सुनाई देता हैं। जब आप उधर नजर दौड़ाते हो तब आपको कुछ भिखारी डब्बे, बर्तन जैसे टिन का कटोरा आदि लिए यह वाक्य बार-बार दोहराते हैं। उसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, विकलांग शामिल होते हैं। अंधे भी इस धंधे में शामिल होते हैं।

यह सच है कि केवल कानून के माध्यम से भिक्षावृति पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इस बुराई पर रोक के लिए समाज को आगे आकर प्रयास करने होंगे, शारीरिक रूप से लाचार लोगों को रोजी रोटी का सरकार प्रबंध करे मगर जो सक्षम है और विभिन्न कारणों से ऐसा कर रहे है उनके रोजगार का प्रबंध सरकार करे ताकि मिलजुल कर भिक्षावृति रोकी जा सके।

–अतिथि संपादक,
बाल मुकुन्द ओझा,
वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार

के.के. गुप्ता ने नागौर शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया

राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर के.के. गुप्ता तथा नगर निकाय अधिकारियों की बैठक में स्वच्छता को लेकर चर्चा हुई

नागौर, (निसं)। जिले में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन के तहत गुरुवार को नगर परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर के.के. गुप्ता तथा नगर निकाय अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

नगर परिषद आयुक्त गोविंद सिंह भींचर ने बताया कि बैठक में नगर परिषद द्वारा स्वच्छता को लेकर लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था की सख्त निगरानी की जा रही है और गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्करण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैठक के दौरान सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई, पार्कों के रखरखाव, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, सड़क नालियों की मरम्मत, डिवाइडर पर रंगरोगन तथा स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमों के विस्तार पर भी चर्चा की गई। ब्रांड एंबेसडर के.के. गुप्ता ने सुझाव दिया कि स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए स्कूलों, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने वार्ड स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करने की भी बात कही।

इस दौरान के.के. गुप्ता ने कहा कि गांव और शहर को गंदगी की वजह से स्वच्छ नहीं बना पाना कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। उन्होंने कहा कि दृढ़ ईच्छा शक्ति से परिश्रम करके स्वच्छता का माहौल बनाया जा सकता है। स्वच्छता में इंसान ही नहीं देवी देवताओं का भी वास होता है। इस दौरान उन्होंने डूंगरपुर का उदाहरण देते हुए बताया कि काम के साथ-साथ नाम भी करें। काम के दम पर पहचान बनाएं। स्वच्छ भारत मिशन एक मिशन ही नहीं जन आंदोलन है। इसे आगे बढ़ाएं। हर आदमी ठान लें कि मैं स्वच्छता में सहयोग करूंगा तो कोई भी ताकत भारत को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने से रोक नहीं सकती। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री बार-बार झाड़ू उठा रहे हैं खुद झाड़ू पौछा लेकर निकले। जिन्होंने देश को स्वच्छता का संदेश दिया।

के.के. गुप्ता

इस दौरान उन्होंने डूंगरपुर में किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वच्छता के दौरान बहुत से चैलेंज आए, पर हमने लोगों के भाव बदले। वहीं घर-घर शौचालय बनने से माता बहनों को खुशी मिली। गरीब के घर को प्रधानमंत्री ने सुरक्षित किया है। कोविड महामारी से पहले घर-घर शौचालय बनने से लोग महामारी से बच गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने ही कोविड पर नियंत्रण किया। स्वच्छता को लेकर वे खुद 365 दिन कार्य करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें आने जाने वाले रास्तों को भी साफ करना है। सभी निकायों का पहला और मजबूत कार्य स्वच्छता बनाए रखना है। यह सभी का कर्तव्य और जिम्मेदारी भी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है और आपके शहर की गलियों में गंदगी देखता है तो यह बड़ा शर्मनाक होता है।

इस दौरान के.के. गुप्ता ने कहा कि सरकार को मुझ पर पूरा भरोसा है इसलिए स्वच्छता की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इस दौरान उन्होंने बैठक में सभी को संबोधित करते हुए कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति ठान लें तो 24 घंटे में शहर की फितरत बदल सकते हैं, इसके लिए केवल दृढ़ ईच्छाशक्ति होनी चाहिए। इसके लिए ग्रुप बनाकर कार्य करेंगे, सरकार भी जुड़ेगी। उन्होंने कहा इन ग्रुपों में दिन में तीन बार सफाई को लेकर फोटो डालने हैं जो भी काम करेंगे सभी का लेखा-जोखा ग्रुप में होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्य की सराहना करने से परिणाम नहीं आता हैं जब तक जनता ना बोले तब तक आनंद नहीं आएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी यह प्रयास करें कि खुले में कहीं भी कचरा नहीं दिखे। अधिकारी मस्त, जनता त्रस्त यह बर्दाश्त नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि यहां आकर मैंने अभी ज्यादा देखा नहीं है और जो देखा है वह देखने लायक नहीं। इस दौरान उन्होंने सबसे हाथ जोड़कर भी निवेदन किया कि राजस्थान की प्रतिष्ठा का सवाल है, इस पर खरा उतरना है। धरातल को देखना है जनता के मुंह से यह निकले कि कचरा कहीं नहीं डालना है। बैठक में उन्होंने बाबा रामदेव के नुस्खे बताते हुए कहा कि क्रिया का होना ही काफी नहीं है क्रिया करने का भाव होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमने विषम परिस्थितियों को भी सम बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा हर निकाय स्तर पर दो व्यक्तियों को सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। डोर टू डोर कचरा संग्रहण अच्छी पहल है। इसमें सुखा व गीला कचरा अलग-अलग करके 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। वहीं इसमें समय प्रबंधन होना भी जरूरी है। साथ ही गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम भी लगे, ताकि शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा सके।

- **स्वच्छ भारत मिशन, एक मिशन ही नहीं, यह जन आंदोलन है, इसे आगे बढ़ाएं : के.के. गुप्ता**

प्रवासित विवाहित महिलाएं भी सरकारी सेवाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हक़दार : राजस्थान हाईकोर्ट

- **हाईकोर्ट ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्सिंग ऑफिसर नियमित भर्ती 2023 में आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रवासित विवाहित महिलाओं को ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुनवाई पर यह निर्णय दिया**
- **रिट याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता का जन्म अन्य राज्य में हुआ और उनकी शादी राजस्थान के मूल निवासी से होने के बाद वे राजस्थान की मूल निवासी हो चुकी है**

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने रिपोर्टेबल निर्णय में कहा कि विवाहित महिलाएं भी सरकारी सेवाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हक़दार है। हाईकोर्ट ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नर्सिंग ऑफिसर नियमित भर्ती 2023 में आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रवासित विवाहित महिलाओं को दे ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुनवाई पर यह निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि अन्य राज्यों में जायी जन्मी, लेकिन राजस्थान में विवाहित महिलाएं भी सरकारी सेवाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हक़दार है। एकलपीठ निर्णय के विरुद्ध दायर राज्य सरकार की विशेष अपीलों को खारिज कर दिया अहम आदेश दिए गए।

डीडवाना (नागौर) निवासी याचिकाकर्ता पुनीता रानी और झालावाड़ निवासी रीना कुँवर राजपूत की ओर से अधिवक्ता यशपाल ख़िलेरी ने अलग-अलग रिट याचिकायें दायर कर बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3384 पदों के लिए 19 मई 2023 को विज्ञिप्त जारी की गई थी एवं नर्सिंग ऑफिसर के 6981 पदों के लिए विज्ञप्ति 5 मई 2023 जारी की गई, जिसमें आर्थिक कमजोर वर्ग/ईडब्ल्यूस वर्ग के लिए 10 प्रतिशत पदों का आरक्षण किया गया। याची पुनीता रानी ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पद के लिए और रीना कुँवर राजपूत ने नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए ईडब्ल्यूएस वर्ग में अपना आवेदन किया। चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जारी अंतरिम चयन सूची में याचीगण को चयनित किया गया, लेकिन अंतिम चयन सूची से उनका नाम यह कहते हुए हटा दिया गया कि वह जन्मजात राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों यथा हरियाणा/ मध्यप्रदेश की होने और शादी राजस्थान में हो जाने से वह ईडब्ल्यूएस वर्ग आरक्षण की हकदार नहीं है। इसे लेकर अलग-अलग रिट याचिका के मार्फत चुनौती दी गयी।

रिट याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता का जन्म अन्य राज्य में हुआ और उनकी शादी राजस्थान के मूल निवासी से होने के बाद वे राजस्थान के मूल निवासी हो चुकी है। विवाह पश्चात से ही वह राजस्थान में ही निवासरत है। राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा याचीगण की समस्त जांच पड़ताल कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद नियमानुसार मूल निवासी प्रमाण पत्र और आर्थिक कमजोर वर्ग/ ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किया गया।

राज्य सरकार के कार्मिक विभाग औऱ सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा भी समय समय पर परिपत्र और अधिसूचनाएं जारी करते हुए राज्य से बाहर की महिलाओं को विवाह पश्चात राजस्थान में आर्थिक कमजोर वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाण पत्र जारी कर आरक्षण का फायदा देने के निर्देश जारी कर रखे हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ख़िलेरी ने बताया कि आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण जाति आधारित आरक्षण नहीं होता है बल्कि यह देश के सामान्य जाति के गरीब व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आर्थिक कमजोर वर्ग/आरक्षण केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी उन लोगों को देय है जिनकी परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है तथा जिनकी जाति एससी, एसटी, ओबीसी या एमबीसी जाति में नहीं आती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के मुताबिक किसी भी नागरिक को जन्म स्थान या निवास के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी पद या रोजग़ार के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता और उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस कारण राज्य सरकार द्वारा राज्य के विवाहित महिला को सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस वर्ग आरक्षण से वंचित करना गैरकानूनी और असवैधानिक है। याचीगण के प्राप्तांक ईडब्ल्यूएस वर्ग के अंतिम कटऑफ से भी ज्यादा है।। हास्यास्पद स्थिति यह है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर सभी भर्तियों में अन्य राज्य की मूल निवासी राजस्थान में विवाहित महिलाओं को ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण का लाभ दे रही हैं, लेकिन राजस्थान सरकार के चिकित्सा विभाग द्वारा की जा रही भर्तीयों में अन्य राज्यों की विवाहित महिलाओं को ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण देने से मना किया जा रहा है।

अपीलकर्ता राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि राजस्थान राज्य से बाहर की मूल निवासी महिला शादी के बाद राजस्थान में राजकीय नौकरी में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की हकदार नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी रंजना कुमारी मामले में अन्य राज्यों से प्रवासीत विवाहित महिलाओं को अन्य राज्य में एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों में आरक्षण का हकदार नहीं माना हैं।

प्रकरण के तथ्यों और पूर्व न्यायिक दृष्टान्तों का समग्र परिशीलन पश्चात वरिष्ठ न्यायाधीश डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और न्यायाधिपति संदीप शाह की खण्डपीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश विशेष अपीलों को रिपोर्टेबल निर्णय से खारिज करते हुए यह प्रतिपादित किया कि अन्य राज्यों में जायी जन्मी लेकिन राजस्थान में विवाहित महिलाएं भी सरकारी सेवाओं में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पाने की हक़दार हैं। साथ ही पूर्व में निर्णीत प्रकरण अमन कुमारी एकलपीठ निर्णय को सही ठहराया।

डूंगरपुर के वन नाका दामड़ी में मादा लैपर्ड मृत मिली

गर्भ में पल रहे दो शावकों की भी मौत, वन विभाग की टीम जांच में जुटी

- **मादा लैपर्ड की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है**
- **इस मादा लैपर्ड की मौत को लेकर भी शिकार का संदेह जताया जा रहा है**

डूंगरपुर, (निसं)। दोवड़ा थाना क्षेत्र में स्थित वन मंडल की आंतरी रेंज के नाका दामड़ी के डोलवर में बुधवार को एक मादा लैपर्ड मृत पाई गई। इस घटना में मादा लैपर्ड के गर्भ में पल रहे दो शावकों की भी मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आंतरी वन रेंज के डोलवर के पास लैपर्ड के मृत मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। मृत लैपर्ड को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर दोवड़ा वन नाका पहुंचाया। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. सचिन पाटीदार, डॉ.निशांत परमार और डॉ. युक्ति परमार की एक टीम मौके पर पहुंची। डॉक्टरों ने जांच के दौरान बताया कि मादा लैपर्ड गर्भवती थी और उसके पेट में दो शावक पल रहे थे, जिनकी मादा लैपर्ड के साथ ही मौत हो गई। टीम ने देर शाम मादा लैपर्ड का पोस्टमार्टम किया। लैपर्ड के मृत मिलने की सूचना पर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग और डॉक्टरों की मौजूदगी में मादा लैपर्ड का अंतिम संस्कार किया गया। मादा लैपर्ड की मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। इस घटना से कई सवाल खडे हो रहे हैं। पिछले दिनों साबला क्षेत्र में एक लैपर्ड का शिकारियों द्वारा शिकार किया गया था, जिसके नाखून और मुंह का जबड़ा काटकर शिकारी ले गए थे। इस मादा लैपर्ड की मौत को लेकर भी शिकार का संदेह जताया जा रहा है।

बाबा श्याम का मुख्य मेला आज

- **करीब सात लाख श्रद्धालुओं ने अब तक श्याम बाबा के दर्शन किए**

सीकर, (निसं)। खाटूश्याम जी का फाल्गुनी लक्खी मेला अपने परवान पर है, जिसमें देशभर से लाखों श्याम भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा के निर्देश में जिला प्रशासन द्वारा मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए अभूतपूर्व व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे भक्तों को सुगम, सुरक्षित और सुखद दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। अब तक कुल 6,67,643 श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। बाबा श्याम का मुख्य मेला 27 फरवरी एकादशी को आयोजित होगा। इस दिन बाबा श्याम रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे, जिसे लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है।

जिला कलैक्टर शर्मा के निर्देश पर विशेष रूप से नगर पालिका द्वारा मेला परिसर में बेहतरीन साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पर्याप्त कचरा पात्र लगाए गए हैं, अतिरिक्त ऑटो टीपर तैनात किए गए हैं, और डोर-टू-डोर होटल तथा ढाबों के कचरे के निस्तारण के लिए टेंडर आधारित व्यवस्थाएं की गई है, जिससे प्रतिदिन नियमित सफाई और कचरा संग्रहण हो रहा है।

वहीं बाबा श्याम के दर्शनों के लिये प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों से भक्त जयकारे लगाते हुये पहुंच रहे है। श्याम भक्तों के लिये रास्ते में कई जगह पर भंडारे लगे हुये हैं। वहीं भक्तों के लिये रास्ते में कई प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। रींगस से लेकर खाटू नगरी तक श्याम भक्तों का रैला ही नजर आ रहा है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 27 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, आर्द्रा नक्षत्र प्रातः 10:49 तक, आयुष्मान योग सायं 7:44 तक, वणिज करण दिन 11:13 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 3:52 से कर्क राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-मिथुन, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज रवियोग दिन 10:49 तक है। कुमार योग 10:49 से रात्रि 10:33 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 10:49 से सूर्योदय तक है। भद्रा दिन 11:33 से रात्रि 10:33 तक रहेगी। बुध अस्त पश्चिम में रात्रि 3:39 पर होगा। आज आमला एकादशी व्रत, रंगभरी ग्यारस है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:21 तक, लाभ-अमृत 8:23 से 11:14 तक, शुभ 12:40 से 2:05 तक, चर 4:57 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:57, सूर्यास्त 6:22

मेष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

वृष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेंगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

कर्क
व्यक्तिगत परेशानियों के कारण मन में असंतोष बना रहेगा। आज समय अनावश्यक कार्यों में खराब हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

सिंह
आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित स्त्रोत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

तुला
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों का मानसिक तनाव दूर होगा। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

वृश्चिक
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। घर-परिवार में वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा।

धनु
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ
परिवार में शुभ-मांगलिक एवं महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मीन
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। अतिथियों के आगमन से परिवार में मनोरंजन का माहौल रहेगा।